"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026 — चैत्र 20, शक 1948

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE/887/2025–FINANCE/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

प्ररूप 28 के पैराग्राफ 5 में, शब्द ''छः मास'' जहाँ कहीं भी आया हो के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''तीन मास'' प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th April 2026

NOTIFICATION

No. RULE/887/2025-FINANCE/Four.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In paragraph 5 of form 28, for the words, "six months", whenever they occur, the words "three months" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.